मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972

(मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 7 सन् 1973)

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 30 व 63 सन् 1976, 7 सन् 1977, 19 व 30 सन् 1978, 8 व 20 सन् 1980, 19 सन् 1981, 24 सन् 1983, 24 सन् 1985 18 सन् 1986, 10 व 27 सन् 1987, 18, सन् 1988, 19 सन् 1991, 7 सन् 92, 18 सन् 1992, 34 सन् 1995, 13 सन् 1997, 23 सन् 1997, 19 सन् 1999, 18 सन् 2000, 26 सन् 2001, 25 सन् 2007, 22 सन् 2008, 17 सन 2010, 15 सन् 2011 एवं 23 सन् 2012, 8 सन् 2013, 15 सन् 2016 द्वारा संशोधित.

राज्य विधान सभा के सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन के लिये उपबंध करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य [वेतन, भत्ता तथा पेंशन] अधिनियम, 1972 कहा जा सकेगा.	संक्षिप्त नाम

2. इस अधिनियम में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, :-	परिभाषाएं

(क) "समिति" से अभिप्रेत है विधान सभा की कोई प्रवर समिति या विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के अधीन गठित कोई समिति या अध्यक्ष या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई कोई समिति और उसके (समिति के) अंतर्गत कानूनी बोर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये बोर्ड आते हैं ;

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई सदस्य, किंतु उसके अंतर्गत –

(एक) मंत्री

(दो) राज्यमंत्री

(तीन) उप मंत्री,

(चार) संसदीय सचिव,

3 [चार-क (मध्यप्रदेश विधान मंडल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में यथा परिभाषित विरोधी दल का नेता, और]

(पांच) मध्यप्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नहीं आते है.

4 [(ख-1) "सम्मिलन" से अभिप्रेत है, विधान सभा का सम्मिलन या किसी समिति का कोई सम्मिलन ; (ख-2) "सम्मिलन का स्थान" से अभिप्रेत है भोपाल या ऐसा अन्य स्थान जो किसी सम्मिलन के लिए नियत किया जाय ;

(ग) "सत्र" से अभिप्रेत है व संपूर्ण कालावधि जिसका आरंभ विधान सभा की बैठकों के प्रारंभ होने के दिन से तीन दिन पूर्व होता हो और उसका अंत विधान सभा की बैठकों के अनिश्चित काल के लिए स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा, जैसी भी कि दशा हो, समाप्त होने के दिन से ठीक तीन दिन पश्चात् होता हो.

3. प्रत्येक सदस्य को [तीस हजार] रूपये प्रतिमाह वेतन दिया जायेगा.	सदस्यों का वेतन

4. प्रत्येक सदस्य को [पैंतीस हजार] रूपये प्रतिमाह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता दिया जायेगा.	निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

[4-क, प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन भत्ते के रूप में [दस हजार] रूपये प्रतिमास दिये जायेंगे, चाहे उसके निवास स्थान पर टेलीफोन हो या न हो,].	टेलीफोन भत्ता

4(ख) "ख,-, प्रत्येक सदस्य को दस हजार रूपये प्रतिमास लेखन सामग्री तथा डाक भत्ता दिया जायेगा."	लेखन सामग्री तथा डाक भत्ता

"4-ग. प्रत्येक सदस्य को पंद्रह हजार रूपये प्रतिमास कम्प्यूटर ऑपरेटर/अर्दली भत्ता दिया जायेगा."	अर्दली भत्ता

5- (1) प्रत्येक सदस्य को रेल कूपन दिये जायेंगे जो, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं,	राज्य के भीतर तथा बाहर रेल द्वारा नि:शुल्क अभवहित

(एक) उसे अकेले प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा; या

(दो) उसे उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित प्रथम श्रेणी द्वारा या वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा,

किसी भी रेल से राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल 10000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए हकदार बनाएंगे."

(2) जब तक कि किसी सदस्य को उपधारा (1) के अधीन नि:शुल्क रेल कूपन नहीं दिया जाता तबतक धारा 6 में विनिर्दिष्ट किये गये प्रकार की किसी ऐसी यात्रा के लिये जो कि उसने रेल द्वारा की हो, एक प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या वातानुकूलित शयन यान यात्री भाड़े के बराबर रकम पाने का हकदार होगा,

(3) धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को रेल के कूपन दिए जाएँगे जो ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, उसे प्रथम श्रेणी द्वारा अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से, --

शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से,-

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के; और

(दो) राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल चार हजार किलोमीटर तक की, यात्रा करने के लिए हकदार बनाएंगे.

[(5-ख) [(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो, कोई सदस्य अपने निवास स्थान के निकटतम विमान पत्तन से सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है, वहां वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए, वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा,];	वायुयान से यात्रा की सुविधा

(2) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां आवश्यक हो कोई सदस्य जो राज्य के भीतर या बाहर वायुयान से यात्रा करता है, ऐसे नियमों के अध्ययाधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाये, ऐसी यात्रा के लिए अधिकतम पदाभिहित मितव्ययी श्रेणी यात्री भाडे के अध्ययाधीन रहते हुए दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा;

परंतु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा धारा-5 क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा तथा इस उपधारा के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया गया कुल व्यय छः हजार किलो मीटर के लिए वातानुकूलित शयनयान के रेल किराये के दुगने के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा.".

(3) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां कोई सदस्य मध्यप्रदेश राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा;

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसी यात्राओं की कुल संख्या प्रतिवर्ष 34 से अधिक नहीं होगी.

5-ग इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक सदस्य जो किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए या सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से संबद्ध कोई अन्य कामकाज करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर, स्टीमर से यात्रा करता है, वह और उसके साथ जाने वाला एक व्यक्ति दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए स्टीमर के किराये की प्रतिपूर्ति उस रकम की सीमा तक पाने का हकदार होगा, जो प्रथम श्रेणी के रेल किराये की रकम के दुगने के बराबर हो.'.	स्टीमर यात्रा की सुविधा

6.(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक ऐसा यात्रा के लिए जोकि उसने राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपने प्राथमिक निवास-स्थान से उस स्थन तक की हो, जहां कि वह सत्र या सम्मिलन किया जाना है और ऐसे स्थान से उसके प्राथमिक निवास-स्थान तक की वापसी यात्रा के लिए ऐसी दरों से जो कि विहित की जायें, यात्रा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे.	यात्रा तथा दैनिक भत्ता

(2) प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो सम्मिलन के स्थान पर या उससे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसी दरों से, जो कि विहित की जाय, दैनिक भत्ता दिया जायगा.

6-क (1) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2012 के प्रारंभ से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि के लिए कार्य किया है, बीस हजार रूपये प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जायेगा ;	धारा 6-क का संशोधन

परंतु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रूपये प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जायेगा और किसी सदस्य की अवधि के लिए अंतिम वर्ष की छः मास या अधिक की कालावधि अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझी जायेगा :

" परंतु यह और कि पेंशन में प्रतिवर्ष आठ सौ रूपये प्रतिमास जोड़े जायेंगे. "

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार कोई व्यक्ति --

(एक) भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिये निर्वाचित हो जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद नियुक्त कर दिया जाता है; या

(दो) राज्य सभा का या लोक सभा का या किसी राज्य की किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधानसभा का या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् का या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गणित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य हो जाता है; या

(तीन) केंद्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम जिस पर केंद्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाता है या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक मानदेय या प्रतिकर प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार हो जाता है;

वहां ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन की किसी पेंशन का उस कालावधि के लिये हकदार नहीं होगा जिसके कि दौरान वह ऐसा पद धारण किये रहे या ऐसे सदस्य के रूप में बना रहे या इस प्रकार नियोजित रहे या ऐसे पारिश्रमिक मानदेय या प्रतिकार का हकदार बना रहे ;

परंतु जहां वह वेतन जो कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने के कारण देय हो या खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट किया गया पारिश्रमिक मानदेय या प्रतिकार जो कि ऐसे व्यक्ति को देय हो उपधारा (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में अतिशेष पाने का भी हकदार होगा.

(3) "जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति कोई अन्य पेंशन पाने का भी हकदार है, वहां ऐसा व्यक़्ति ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा"

(4) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये, वर्षो की संख्या की संगणना करने में --

(एक) कालावधि की गणना 1 अप्रैल सन् 1952 से की जायेगी;

(दो) 1 अप्रैल सन् 1952 के पूर्व की कोई भी कालावधि छोड़ दी जायेगी;

(तीन) वह कालावधि भी हिसाब में ली जायगी जिसके कि दौरान किसी व्यक्ति ने मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के रूप में अथवा मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान, भोपाल या विन्ध्यप्रदेश के विद्यमान राज्यों जैसे कि वे स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन एक्ट, 1956 (क्रमांक 37, सन् 1956) की धारा 9 में निर्दिष्ट किये गये हैं, की सरकारके मुख्य मंत्री, मंत्री राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के रूप में अथवा मध्यप्रदेश विधान सभा के या उक्त विद्यमान राज्यों में से किसी भी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में या दोनों के रूप में या मध्यप्रदेश विधान मण्डल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में यथा परिभाषित विरोधी दल के नेता के रूप में कार्य मध्यप्रदेश विधान सभा में या उक्त विद्यमान राज्यों की विधान सभाओं में अपनी सदस्यता के आधार पर किया हो,-

"6-ख, किसी ऐसे मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या आश्रित को जो धारा-6 क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार था उसकी मृत्यु की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए **अठारह हजार** रूपये प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन दी जाएगी, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय है : ",		कुटुम्ब पेंशन

"परंतु परिवार पेंशन में प्रतिवर्ष पांच सौ रूपये प्रतिमास जोड़े जायेंगे."

6-ग, प्रत्येक, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा, और **पंद्रह हजार** रूपये प्रतिमास चिकित्सीय भत्ता भी दिया जाएगा"		भूतपूर्व सदस्यों को चिकित्सीय सुविधाएं

(7) (1) प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास **दस हजार** रूपये का चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा. (1-क) उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त किंतु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये किन्ही नियमों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक तौर पर		सदस्यों के लिये चिकित्सा भत्ता, चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार

(एक) राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में ऐसा स्थान नि:शुल्क प्राप्त करने का तथा ऐसे चिकित्सालयों में उपलब्ध ऐसा चिकित्सीय उपचार नि:शुल्क प्राप्त करने का भी हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के नियम-निर्माण नियंत्रण के अधीन किसी ऐसे शासकीय सेवक के स्वयं के लिए जो कि प्रतिमास 225 रूपये या अधिक वेतन प्राप्त करता हो, स्वीकार्य होता है;

(दो) जब कि वह सरकारी कार्य से राज्य के बाहर यात्रा कर रहा हो तो ऐसे सरकारी चिकित्सालय में, जो कि ऐसे स्थान पर स्थित हो, जहां कि वह ऐसे सरकारी कार्य से जाय, या किसी ऐसे स्थान पर स्थिति हो जो उस स्थान तक की, जहां कि उसे जाना हो, उसकी यात्रा के बीच पड़ता हो, चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा;

(तीन) राज्य के बाहर, कोई विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि चिकित्सक की राय में ऐसा विशेषित चिकित्सीय उपचार आवश्यक हो और ऐसे सदस्य ने राज्य के बाहर ऐसे उपचार के लिये संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया हो,

(चार) राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के आंतरिक रोगी के रूप में कराई गई चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार तथा शल्य चिकित्सा पर हुए समस्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा,

(पांच) सदस्य के अचानक बीमार हो जाने तथा राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुमति के बिना चिकित्सीय उपचार कराने की स्थिति में शासन द्वारा विनिर्दिष्ट बीमारियों पर नियमानुसार अग्रिम प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसे अग्रिम को स्वीकृत करने के लिए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा अधिकृत होगा तथा यह अग्रिम संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अनुमोदन के पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति में से समायोजित किया जायेगा :";

परंतु ऐसा सदस्य खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन राज्य के बाहर प्राप्त किये गये चिकित्सीय उपचार पर उसके द्वारा उपगत किये गये प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिये उस सीमा तक हकदार होगा जिस सीमा तक कि वह स्थिति में हकदार होता जबकि उसने ऐसा चिकित्सीय उपचार राज्य में के किसी सरकारी चिकित्सालय में कराया होता.

स्पष्टीकरण-1 इस धारा में "चिकित्सीय परिचर्चा तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अंतर्वासी रोगी के रूप में उपचार,

(2) जब तक कि उपधारा (1-क) के अधीन नियम न बना दिये जाये, किन्तु उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये चिकित्सीय परिचर्चा तथा उपचार संबंधी नियम, इस उपान्तरण अध्यधीन रहते हुए कि प्रतिपूर्ति के किसी भी दावे के प्रयोजन के लिये नियंत्रक प्राधिकारी मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रमुख सचिव होगा, सदस्य को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे पूर्वोक्त शासकीय सेवक को उसके स्वयं के लिये लागू होते हैं,

" 7-क. मृत सदस्य के आश्रित को पांच लाख रूपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा."

8-क, कोई भी ऐसी धनराशि, जो कि किसी सदस्य से या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कि धारा 6-क के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, सदस्य की हैसियत में उसको दी गई वास सुविधा के किराये के मद्दे या की गई उसकी सेवा के या उसे दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की हैसियत से उसकों अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दें राज्य सरकार को शोध्य हो, और उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) राज्य सरकार को देय हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन यथास्थिति --	सदस्यों से शोध्य तथा देय धनराशियों की वसूली

(एक) ऐसे सदस्य को देय वेतन तथा भत्तों में से, या

(दो) ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन में से,

ऐसे रीति में, जो कि विहित की जाय, वसूली योग्य होगी.]

9.(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध हो सकेंगे :-	नियम बनाने की शक्ति

(क) वे निबंधन तथा शर्तें जिनके कि साथ किसी सदस्य को नि:शुल्क बस पास धारा 5 के अधीन दिया जाएगा.

(कक) किसी सदस्य को धारा 5-क के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों का विनियमन;

(ककक) वह प्रारूप जिसमें कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन का दावा करने का प्रयोजन के लिये प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा;

(क-1) किसी सदस्य को धारा 6 के अधीन देय यात्रा तथा दैनिक भत्ते की दरें,

(ख) सदस्यों के लिये धारा 7 के अधीन चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का विनियमन;

(ग) किसी सदस्य के धारा 8-क के अधीन शोध्य तथा उसके द्वारा देय धनराशियों की वसूली की रीति.

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे और विधान सभा संकल्प द्वारा, उन नियमों के उपान्तरणों सहित या उपांतरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी.

10. मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिब असेम्बली मेम्बर्स (सोलरिज एण्ड अलाउन्सेज) एक्ट, 1956 (क्रमांक 4 सन् 1957) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है.	निरसन

" 7-क. मृत सदस्य के आश्रित को पांच लाख रूपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा."

8-क, कोई भी ऐसी धनराशि, जो कि किसी सदस्य से या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कि धारा 6-क के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, सदस्य की हैसियत में उसको दी गई वास सुविधा के किराये के मद्दे या की गई उसकी सेवा के या उसे दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की हैसियत से उसको अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दे राज्य सरकार को शोध्य हो, और उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) राज्य सरकार को देय हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन यथास्थिति --	सदस्यों से शोध्य तथा देय धनराशियों की वसूली

(एक) ऐसे सदस्य को देय वेतन तथा भत्तों में से, या

(दो) ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन में से,

ऐसे रीति में, जो कि विहित की जाय, वसूली योग्य होगी.]

9.(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी. (2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध हो सकेंगे :-	नियम बनाने की शक्ति

(क) वे निबंधन तथा शर्तें, जिनके कि साथ किसी सदस्य को नि:शुल्क बस पास धारा 5 के अधीन दिया जाएगा.

(कक) किसी सदस्य को धारा 5-क के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों का विनियमन;

(ककक) वह प्रारूप जिसमें कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन का दावा करने का प्रयोजन के लिये प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा;

(क-1) किसी सदस्य को धारा 6 के अधीन देय यात्रा तथा दैनिक भत्ते की दरें,

(ख) सदस्यों के लिये धारा 7 के अधीन चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का विनियमन;

(ग) किसी सदस्य के धारा 8-क के अधीन शोध्य तथा उसके द्वारा देय धनराशियों की वसूली की रीति.

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम मध्यप्रदेश विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे और विधान सभा संकल्प द्वारा, उन नियमों के उपान्तरणों सहित या उपांतरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगी.

10. मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिब असेम्बली मेम्बर्स (सोलरिज एण्ड अलाउन्सेज) एक्ट, 1956 (क्रमांक 4 सन् 1957) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है.	निरसन

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972
(क्रमांक 7 सन् 1973) में समय-समय पर हुए संशोधन का सार

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन तथा भत्ता अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के नाम (साइटेशन) में, शब्द "वेतन तथा भत्ता" के स्थान "वेतन, भत्ता तथा पेंशन" स्थापित किये जायं.	नाम (साइटेशन) का संशोधन

मूल अधिनियम के लम्बे नाम में, शब्द "वेतन तथा भत्तों" के स्थान पर शब्द "वेतन, भत्तों तथा पेंशन" स्थापित किये जायं.	लम्बे नाम का संशोधन

धारा 1 का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 63 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 1 में, शब्द "वेतन तथा भत्ता" के स्थान पर शब्द "वेतन, भत्तों तथा पेंशन" स्थापित किये जायं.	धारा 1 का संशोधन

(2) वर्ष 1980 में क्रमांक 20 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 (क्रमांक 30 सन् 1978) की धारा 1 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जायं और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वह सदैव से प्रतिस्थापित की गई है, अर्थात् :-	मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 30 सन् 1978 का संशोधन

"(2) यह 24 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त होगा."

धारा 2 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किये जायें, अर्थात् :-

(ख-1) "सम्मिलन" से अभिप्रेत है, विधान सभा का सम्मिलन या किसी समिति का कोई सम्मिलन ;

(ख-2) "सम्मिलन का स्थान" से अभिप्रेत है, भोपाल या ऐसा अन्य स्थान जो किसी सम्मिलन के लिए नियुक्त किया जाय."

धारा 3 का संशोधन

(1) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "चार सौ" के स्थान पर शब्द "छह सौ" स्थापित किये जाएं.

(2) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "छह सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किये जाएं.

(3) वर्ष 1997 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ" स्थापित किये जाएं.

(4) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "चार हजार" स्थापित किये जाएं.

(5) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "नौ हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाएं.

(6) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "तीस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा 4 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में "दो सौ" के स्थान पर शब्द "तीन सौ" स्थापित किये जायें.

(2) वर्ष 1981 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें धारा 4 का इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 4 में शब्द "तीन सौ" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" स्थापित किये जाएं.

(3) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" स्थापित किये जाएं.

(4) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "सात सौ पचास" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ पचास" स्थापित किये जाएं.

(5) वर्ष 1992 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 4 में शब्द "एक हजार दो सौ पचास" के स्थान पर शब्द "तीन हजार" स्थापित किये जाएं.

(6) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "तीन हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" स्थापित किये जाएं.

(7) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "आठ हजार" के स्थान पर शब्द "बारह हजार" स्थापित किये जाएं.

(8) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "बारह हजार" के स्थान पर शब्द "सोलह हजार" स्थापित किये जाएं.

(9) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "सोलह हजार" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार" स्थापित किये जाएं.

(10) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "पच्चीस हजार" के स्थान पर शब्द "पैंतीस हजार" स्थापित किये जाएं.

धारा 4 "क" का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाय, अर्थात :-
"4-क. प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन भत्ते के रूप में एक सौ रूपये प्रतिमास दिये जायेंगे, चाहे उसके निवास स्थान पर टेलीफोन हो या न हो."

(2) वर्ष 1981 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "एक सौ" के स्थान पर शब्द "तीन सौ" स्थापित किए जाएं.

(3) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "तीन सौ" के स्थान पर शब्द "पांच" सौ स्थापित किए जाएं.

(4) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ" स्थापित किए जाएं.

(5) वर्ष 1992 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "एक हजार दो सौ" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ" स्थापित किए जाएं.

(6) वर्ष 1997 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "दो हजार पांच सौ" के स्थान पर शब्द "चार हजार" स्थापित किए जाएं.

(7) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क में, शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "सात हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा 4 "ख" का संशोधन

(1) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएं अर्थात -

"4-ख. प्रत्येक सदस्य को दो हजार रूपये प्रतिमास लेखन सामग्री तथा डाक भत्ता दिया जायेगा.

मूल अधिनियम की धारा 4-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएं अर्थात -
(2) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

4-ख. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, शब्द "दो हजार" के स्थान पर शब्द "चार हजार" स्थापित किए जायं.

(3) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाएं.

धारा 4 "ग" का संशोधन

(1) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

"4-ग. प्रत्येक सदस्य को दिनांक 22 फरवरी, 2001 से एक हजार रूपये प्रतिमास की दर से तथा उसके अर्दली भत्ता. पश्चात् दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 से दो हजार रूपये प्रतिमास की पुनरीक्षित दर से अर्दली भत्ते का भुगतान किया जाएगा.".

(2) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

4-ग. प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रूपये प्रतिमास अर्दली भत्ता दिया जायेगा.

(3) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-ग में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किए जाए.

(4) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात :-
"4-ग. प्रत्येक सदस्य को पंन्द्रह हजार रूपये प्रतिमाह कम्प्यूटर ऑपरेटर/अर्दली भत्ता दिया जायेगा."

धारा 5 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 5 में :-

(एक) शब्द "अनन्तरणीय पास" के स्थान पर शब्द "अहस्तान्तरणीय बस पास" स्थापित किये जायें.

(दो) शब्द "किंतु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी सदस्य को देय किसी यात्रा भत्ते के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी," का लोप किया जाय.

(2) वर्ष 1981 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुन:क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् किन्तु विद्यमान स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाय, अर्थात:-

" प्रत्येक सदस्य को एक अतिरिक्त नि:शुल्क अहस्तान्तणीय बस पास दिया जायगा जो उसके साथ जाने वाले उसके पति/उसकी पत्नी या परिचारक को, उसके साथ ऐसी यात्रा करने के लिए हकदार बनाएगा जैसी कि उपधारा (1) में उपबंधित हैं.".

(3) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में, शब्द "प्रत्येक सदस्य" के पश्चात्, शब्द "और धारा 6-क की अधीन पेंशन के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति" अन्त:स्थापित किए जाएं.

(4) वर्ष 1997 में क्रमांक 4 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के संशोधन, स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"प्रत्येक सदस्य तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो द्वारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, एक अतिरिक्त नि:शुल्क अहस्तांतरणीय बस पास दिया जाएगा जो उसके साथ जाने वाले उसके पति/उसकी पत्नी या परिचारक को, उसके साथ ऐसी यात्रा करने के लिए हकदार बनाएगा ; जैसा कि उपधारा (1) में उपबंधित है ".

(5) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

प्रत्येक सदस्य को दो सौ पचास रूपये प्रतिमाह बस यात्रा भत्ता दिया जायेगा.

(6) वर्ष 2011 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

प्रत्येक सदस्य को तथा धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिए हकदार प्रत्येक व्यक्ति को पांच सौ रूपये प्रतिमास की दर से बस यात्रा भत्ता दिया जायेगा.

(7) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाएं.

(8) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाए.

धारा 5 "क" का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाय, अर्थात :-

"5-क. (1) प्रत्येक सदस्य को उसके स्वयं के लिये प्रथम श्रेणी का एक नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेल पास तथा उसके साथ चलने वाले परिचारक के लिये द्वितीय श्रेणी का एक नि:शुल्क अहस्तांतरणीय रेल पास ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि विहित की जायें, दिया जायगा जिससे वह तथा उसके साथ चलने वाला परिचारक किसी भी रेल द्वारा :-

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के ; और

(दो) राज्य के बाहर प्रतिवर्ष केवल 3000 किलोमीटर तक की यात्रा किसी भी समय करने का हकदार हो जायगा.

(2) जब तक कि किसी सदस्य को उपधारा (1) के अधीन नि:शुल्क रेल पास नहीं दिया जाता तब तक वह धारा 6 में निर्दिष्ट किये गये प्रकार की किसी ऐसी यात्रा के लिये जो कि उसने रेल की हो, एक प्रथम श्रेणी यात्रा भाड़े के बराबर रकम पाने का हकदार होगा.

(2) वर्ष 1978 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन.

2. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5-क में, --

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात :-

"(1) प्रत्येक सदस्य को रेल कूपन दिये जायेंगे जिनसे कि वह प्रथम श्रेणी द्वारा तथा उसके साथ चलने वाला परिचारक द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल से, --

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के ; और

(दो) राज्य के बाहर प्रतिवर्ष केवल 3,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने का, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जायं, हकदार हो जायगा." और,

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "नि:शुल्क रेल पास" के स्थान पर शब्द "रेल कूपन" स्थापित किये जायं.

(3) वर्ष 1980 में क्रमांक 20 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक सदस्य के रेल कूपन दिये जायेंगे जो, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाय, --

(एक) सदस्य को तथा उसके पति/उसकी पत्नी, जो कि सदस्य के साथ जा रहा/जा रही हो, को प्रथम श्रेणी द्वारा : और

(दो) उस दशा में जबकि सदस्य के साथ उसका पति/उसकी पत्नी नहीं जाता/जाती है, सदस्य के जाने वाले परिचारक को द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल से, --

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के ; और

(दो) राज्य के बाहर प्रतिवर्ष केवल 6,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिये हकदार बनायेंगे,".

(4) वर्ष 1985 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क की उपधारा (1) में शब्द "वर्ष" के स्थान पर शब्द "वित्तीय वर्ष" स्थापित किए जाएं.

(5) वर्ष 1991 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5-क की उपधारा (1) में शब्द "तथा उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित शयनयान अथवा द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा किसी भी रेल से" के स्थान पर शब्द "और उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति को प्रथम श्रेणी द्वारा या वातानुकूलित शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल" स्थापित किए जाएं.

(6) वर्ष 1995 में क्रमांक 34 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5-क की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अत:स्थापित की जाए, अर्थात् :-

धारा 6-क के अधीन पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को रेल के कूपन दिए जाएंगे जो ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाएं, उसे प्रथम श्रेणी द्वारा अथवा द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अकेले अथवा द्वितीय श्रेणी शयनयान या द्वितीय श्रेणी द्वारा अपनी/अपने पति या एक परिचारक के साथ किसी भी रेल से, --

(एक) राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के; और

(दो) राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल तीन हजार किलोमीटर तक की, यात्रा करने के लिए हकदार बनाएंगे.".

(7) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाएं अर्थात --

"(1) प्रत्येक सदस्य को रेल कूपन दिये जायेंगे जो ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जायें-

(एक) उसे अकेले प्रथम श्रेणी वातानुकूलित द्वारा; या

(दो) उसे उसके साथ जाने वाले एक व्यक्ति सहित प्रथम श्रेणी शयनयान द्वारा या द्वितीय श्रेणी द्वारा किसी भी रेल से राज्य के भीतर बिना किसी निर्बन्धन के और राज्य के बाहर प्रति वित्तीय वर्ष केवल 6000 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए हकदार बनायेंगे।

(8) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-क में,-

(एक) उपधारा (2) में शब्द, 'एक प्रथम श्रेणी यात्री भाड़े' के स्थान पर, शब्द 'एक प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या वातानुकूलित शयन यान यात्री भाड़े' स्थापित किये जाये;

(दो) उपधारा (3) में शब्द 'द्वितीय श्रेणी शयनयान द्वितीय श्रेणी द्वारा अपनी पत्नी/पति या एक परिचारक के साथ 'के स्थान पर, शब्द 'द्वितयी श्रेणी वातानुकूलित शयनयान द्वारा अपनी पत्नी/पति या एक परिचारक के साथ' स्थापित किये जाए ;

मूल अधिनियम की धारा 5-क में,-

(एक) उपधारा (1) में, अंक तथा शब्द "6,000 किलोमीटर" के स्थान पर अंक तथा शब्द "10,000 किलोमीटर" स्थापित किए जाए ;

(दो) उपधारा (3) में, शब्द "तीन हजार" के स्थान पर, शब्द "चार हजार" स्थापित किए जाए."

धारा 5 "ख" का संशोधन

(1) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"5-ख. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी सत्र में या किसी समिति किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, कोई सदस्य अपने निवास स्थान के निकटतम, विमानपत्तन से सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिये, वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति का, प्रथम श्रेणी के रेल किराए के दुगने के बराबर की रकम की सीमा तक, हकदार होगा".

(2) वर्ष 1992 में क्रमांक 7 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5-ख की उपधारा (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए ; और --

(एक) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1) में शब्द "प्रथम श्रेणी" के स्थान पर शब्द "वातानुकूलित शयन-यान" स्थापित किए जाएं ; और

(दो) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(2) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां आवश्यक हो, कोई सदस्य, जो राज्य के भीतर या बाहर वायुयान से यात्रा करता है, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाएं जाएं, दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिये वायुयान के किराए की प्रतिपूर्ति हेतु उतनी रकम के लिए हकदार होगा जो वातानुकूलित शयन यान के रेल किराए के दुगुने के बराबर हो :

परंतु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा धारा 5-क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा तथा इस उपधारा के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया गया कुल व्यय छह हजार किलोमीटर के लिए वातानुकूलित शयन-यान के रेल किराए के दुगुने के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा."

(3) वर्ष 1997 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-ख की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

परंतु उस दशा में जबकि बैठक का स्थान रेल से जुड़ा हुआ न हो तब सदस्य अंतिम रेल्वे स्टेशन से लेकर बैठक के स्थान तक अपने द्वारा की गई यात्रा के लिए वायुयान के वास्तविक किराये के लिए हकदार होगा.".

(4) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

[(5-ख) [(1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो, कोई सदस्य अपने निवास स्थान के निकटतम विमान पत्तन से सत्र या सम्मिलन के स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है, वहां वह दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए, वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा,];

(2) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां आवश्यक हो कोई सदस्य जो राज्य के भीतर या बाहर वायुयान से यात्रा करता है, ऐसे नियमों के अध्ययाधीन रहते हुए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाये, ऐसी यात्रा के लिए अधिकतम पदाभिहित मितव्ययी श्रेणी यात्री भाड़े के अध्ययाधीन रहते हुए दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगा ;

परंतु किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी सदस्य द्वारा धारा-5 क के अधीन राज्य के बाहर रेल द्वारा की गई यात्रा तथा इस उपधारा के अधीन राज्य के बाहर वायुयान द्वारा की गई यात्रा पर किया गया कुल व्यय छह हजार किलोमीटर के लिए वातानुकूलित शयन-यान के रेल किराए के दुगुने के बराबर की रकम से अधिक नहीं होगा."

(5) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

"(3). इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां कोई सदस्य मध्यप्रदेश राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायुयान से यात्रा करता है तो वह ऐसी यात्रा के लिए वायुयान के किराये की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन ऐसी यात्राओं की कुल संख्या प्रतिवर्ष चौंतीस से अधिक नहीं होगी.".

धारा 5 "ग" का संशोधन

(1) वर्ष 1991 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 5-ख के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"5-ग. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक सदस्य जो किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये या सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से संबंद्ध कोई अन्य कामकाज करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर, स्टीमर से यात्रा करता है, वह और उसके साथ जाने वाला एक व्यक्ति दोनों तरफ की ऐसी यात्रा के लिए स्टीमर के किराए की प्रतिपूर्ति उस रकम की सीमा तक पाने का हकदार होगा, जो प्रथम श्रेणी के रेल के किराए की रकम के दुगुने के बराबर हो,".

धारा 6 का संशोधन

(1) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय अर्थात् :-

"6.(1) उपधारा 2 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक ऐसी यात्रा के लिये जो कि उसने राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी सत्र में या किसी समिति के किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये अपने प्राथमिक निवास स्थान से उस स्थान तक की हो, जहां कि वह सत्र या सम्मिलन किया जाता है, और ऐसे स्थान से उसके प्राथमिक निवास स्थान तक की वापसी यात्रा के लिये ऐसी दरों से जो कि वहित की जायं, यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे.

(2) प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो सम्मिलन के स्थान पर या उससे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसी दरों से, जो कि विहित की जायं, दैनिक भत्ता दिया जायगा,".

धारा 6 "क" का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 63 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जा, अर्थात् :-

"6-क (1) 1. नवम्बर, 1976 से, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने पांच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार हो या न हो, मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हो, तीन सौ रूपये प्रतिमास पेंशन दी जायगी:

परंतु जहां किसी व्यक्ति के पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोत्त रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिये तीस रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन इस प्रकार दी जायगी कि जिससे ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन किसी भी दशा में चार सौ पचास रूपये प्रतिमास से अधिक न हो जाय.

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य" के अंतर्गत वे व्यक्ति आवेंगे जो स्टेटस रिआर्गेनाईजेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 37 सन् 1956) की धारा 28 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर नवीन मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य बन गये थे.

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार कोई व्यक्ति (एक) भारत के राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचित हो जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है या

(दो) राज्य सभा का या लोक सभा का या किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा का या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् का या दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा तीन के अधीन घटित की गई दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य हो जाता है या

(तीन) केंद्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम जिस पर केंद्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित हो जाता है या ऐसी सरकार निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार हो जाता है।

वहां ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन की किसी पेंशन का उस कालावधि के लिये हकदार नहीं होगा जिससे की दौरान वह ऐसा पद धारण किये रहे या ऐसे सदस्य के रूप में बना रहे या इस प्रकार नियोजित रहे या ऐसे पारिश्रमिक का हकदार बना रहे ;

परन्तु जहां वह वेतन जो कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा पद धारण करने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने के कारण देय हो या खंड (तीन) में निर्दिष्ट किया गया पारिश्रमिक जो कि ऐसे व्यक्ति को देय है उपधारा (1) के अधीन उसे देय पेंशन से कम हो वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में अतिशेष पाने का ही हकदार होगा.

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार से इस राज्य सरकार से या किसी अन्य राज्य सरकार से या किसी ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पेंशन किसी विधि के अधीन या अन्यथा पाने का भी हकदार है, तो --

(क) जहां पेंशन कि वह रकम जिसका की वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है पेंशन की उस रकम के जिसका की वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है बराबर हो या उससे अधिक हो वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन किसी पेंशन का हकदार नहीं होगा और

(ख) जहां पेंशन की वह रकम जिसका की वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है पेंशन की उस रकम से जिसका की वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, कम हो वहां पेंशन की वह रकम जिसका कि वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है पेंशन की उस रकम से जिसका की वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार है, जितनी कम है, केवल उतनी ही रकम उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में पाने के लिये ऐसा व्यक्ति हकदार (4) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये वर्षों की संख्या की संगणना करने में-

(एक) कालावधि की गणना 1 अप्रैल सन् 1952 की जायगी ;

(दो) 1 अप्रैल सन् 1952 के पूर्व की कोई भी कालावधि छोड़ दी जायगी ;

(तीन) वह कालावधि भी हिसाब में ली जायगी जिसके कि दौरान किसी व्यक्ति से मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, या संसदीय सचिव के रूप में अथवा मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान, भोपाल या विन्ध्य प्रदेश के विद्यमान राज्यों जैसे की वे स्टेट्स रिआर्गेनाईजेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 37 सन् 1956) की धारा 9 में निर्दिष्ट किये गये है, की सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, या संसदीय सचिव के रूप अथवा मध्यप्रदेश विधान सभा के या उक्त विद्यमान राज्यों में से किसी भी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में या दोनों के रूप में कार्य मध्यप्रदेश विधान सभा में या उक्त विद्यमान राज्यों की विधान सभा में अपनी सदस्यता के आधार पर किया हो.

(2) वर्ष 1977 में क्रमांक 7 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-क की उपधारा (4) में खंड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"(दो-क) तीस दिन की या तीस दिन से कम की किसी ऐसी कालावधि को, जो कि पांच वर्ष की कालावधि पूरी होने में कम पड़ती है, नजर अंदाज कर दिया जायगा और उस संपूर्ण कालावधि की गणना इस प्रकार की जायगी मानों कि वह पांच वर्ष की कालावधि हो,".

(3) वर्ष 1981 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाय और उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उपधारा 1 जनवरी, 1981 से अन्त:स्थापित की गई है अर्थात् :-

"(3-क) यदि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार है, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हो और केंद्रीय सरकार से इस राज्य सरकार से या किसी अन्य राज्य सरकार से सम्मान निधि या उसी प्रकार की कोई निधि, चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, के लिये भी हकदार हो, तो ऐसा व्यक्ति, उपधारा (2) तथा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस पेंशन के, जिसके लिये वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, अतिरिक्त सम्मान निधि या ऐसा अन्य निधि के लिये भी हकदार होगा,".

(4) वर्ष 1986 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6-क की उपधारा (4) के खण्ड (दो-क) में शब्द "तीस दिन की या तीस दिन से कम की" के स्थान पर शब्द "एक सौ अस्सी दिन की या एक सौ अस्सी दिन से कम की" स्थापित किए जाएं.

(5) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क में, --

(एक) उपधारा (1) में शब्द "तीन सौ" के स्थान पर शब्द "पांच सौ" स्थापित किए जाएं; और

(दो) परन्तुक में, शब्द तीस के स्थान पर शब्द पचास और शब्द "चार सौ पचास" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास" स्थापित किए जाएं.

(6) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात :-

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोत्तर रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी,".

(7) वर्ष 1988 में क्रमांक 27 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 6-क की उपधारा (1) में शब्द "पांच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाए.

(8) वर्ष 1991 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क में, --

(एक) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(1-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश की छठी विधान सभा के ऐसे प्रत्येक सदस्य के संबंध में, जो विधान सभा की पूरी अवधि पूर्ण होने से पूर्व विधान सभा की विघटन हो जाने के कारण, पांच वर्ष की कालावधि के लिए सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सका है, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि उसने सदस्य के रूप में पांच वर्ष की कालावधि पूर्ण कर ली है और वह मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 19 सन् 1991) के प्रारंभ से पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा;

परन्तु यथापूर्वोक्त कोई भी सदस्य उपधारा (1) के परन्तुक में यथा उपबंधित अतिरिक्त पेंशन के लिए हकदार वास्तविक रूप से पांच वर्ष की कालावधि तक कार्य करने के पश्चात् ही होगा."

(दो) उपधारा (2) में, जहां कही भी शब्द "पारिश्रमिक" आया है, वहां उसके स्थान पर शब्द "पारिश्रमिक, मानदेय या प्रतिकर" स्थापित किए जाएं.

(9) वर्ष 1992 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए :-

"(1) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया हो, एक हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए एक सौ रूपये प्रतिमाह के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी.

स्पष्टीकरण :-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य" के अंतर्गत वे व्यक्ति आएंगे जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 37) की धारा 28 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर नवीन मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य बन गए थे.

(1-क) (एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो और जिसने ऐसे सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ली हो, वह इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन के लिए हकदार नहीं होगा यदि वह किसी निर्वाचन याचिका में किसी न्यायालय के विनिश्चय के अनुसरण में ऐसा सदस्य नहीं रह जाता है :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन और सदस्यता की समाप्ति के पूर्व किसी कालावधि के लिए ऐसे सदस्य के रूप में कार्य किया हो तो वह सदस्य समाप्ति के पूर्व की कालावधि के लिए पेंशन प्राप्त करने का हकदार बना रहेगा.

(10) वर्ष 1995 में क्रमांक 34 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क में, --

(एक) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात :-

"(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति कोई अन्य पेंशन पाने का भी हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा.".

(दो) उपधारा (3-क) का लोप किया जाय.

(11) वर्ष 1977 में क्रमांक 13 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्त पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की 6-क में,--

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक ऐसे व्यक्तिको, जिसने पांच वर्ष की कालावधि तक, चाहे वह कालावधि लगातार हो या न हो, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया हो, एक हजार पांच सौ रूपये प्रतिमास पेंशन दी जाएगी :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए एक सौ रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई सदस्य विधान सभा के विघटन के कारण पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने से निवारित रहा हो या जहां कोई सदस्य उप-निर्वाचन में निर्वाचित होने के कारण पांच वर्ष तक कार्य नहीं कर सका हो, वहां उसे संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पांच वर्ष की कालावधि तक सदस्य के रूप में कार्य किया है किन्तु यह धारणा उपबंध (डिमिग प्राविजन) अतिरिक्त पेंशन उपार्जित करने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगा;

स्पष्टीकरण :-- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य के अंतर्गत वे व्यक्ति आता है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 37) की धारा 28 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर नवीन मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा के सदस्य बन गए था".

(दो) दो बार आने वाली उपधारा (1-क) का लोप किया जाए;

(तीन) उपधारा (4) के उप-खण्ड (दो-क) का लोप किया जाए.

(12) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "तीन हजार" स्थापित किये जायें.

(13) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

(6) मूल अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) में,-

(एक) प्रथम पैरा में शब्द "तीन हजार रूपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रूपये" किए जाये;

(दो) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक स्थापित कियां जाये अर्थात:-

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक कालावधि तक पूर्वोक्त रूप में कार्य किया हो, वहां उसे पांच वर्ष से ऊपर के प्रत्येक वर्ष के लिए दो सौ रूपये प्रतिमास के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी तथा किसी सदस्य की पदावली के अंतिम वर्ष की छः मास या उससे अधिक की कालावधि को अतिरिक्त पेंशन उपार्जित करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझा जायेगा ;

14-(एक) प्रथम पेरा में शब्द "छह हजार" रूपये के स्थान पर शब्द "सात हजार" रूपये स्थापित किये जाये ;

(दो) प्रथम परन्तुक में शब्द "दो सौ" रूपये के स्थान पर शब्द "तीन सौ" रूपये स्थापित किये जाये;

(14) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

प्रारम्भिक पैराग्राफ में शब्द "सात हजार" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किये जाये.

प्रथम परन्तुक में शब्द "तीन सौ" के स्थान पर, शब्द "पांच सौ" स्थापित किये जाये.

(15) वर्ष 2013 में क्रमांक 8 द्वारा संशोधन.

6-क (1) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2012 के प्रारम्भ से प्रत्येक व्यक्ति को जिसने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में किसी भी कालावधि के लिए कार्य किया है, पन्द्रह हजार रूपये प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जायेगा ;

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने, पांच वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां उसे पांच वर्ष के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए पांच सौ रूपये प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जायेगा और किसी सदस्य की अवधि के लिए अंतिम वर्ष की छः मास या अधिक की कालावधि अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए पूर्ण वर्ष समझी जायेगा;

(16) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-क में, उपधारा (1) में, -

(एक) प्रथम पैरा में, शब्द "पन्द्रह हजार" के स्थान पर, शब्द "बीस हजार" स्थापित किए जाएं;

(दो) प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात -

"परंतु यह और कि पेंशन में प्रतिवर्ष आठ सौ रूपयए प्रतिमास जोड़े जाएंगे".

धारा 6 "ख" का संशोधन

(1) वर्ष 1999 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

2. मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की 6-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"6-ख. किसी ऐसे सदस्य के, जिसकी ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या उसके आश्रित को ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से पांत वर्ष की कालावधि तक एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी,".

(2) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा के स्थान पर 6-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये अर्थात :-

"6-ख, किसी ऐसे मृतक सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति या पत्नी को, यदि कोई हो, या आश्रित को जो धारा-6 क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार था उसकी मृत्यु की तारीख से ऐसी कालावधि के लिए तीन हजार रूपये प्रतिमास कुटुम्ब पेंशन दी जाएगी, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय है.", 7

(3) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ख में शब्द "तीन हजार" रूपये के स्थान पर "पांच हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(4) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ख में शब्द "पांच हजार" रूपये के स्थान पर "दस हजार" रूपये के स्थान पर "दस हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ख में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर, शब्द "अठारह हजार" स्थापित किए जाएं और पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात -

"परंतु परिवार पेंशन में प्रतिवर्ष पाँच सौ रूपये प्रतिमास जोड़े जाएंगे".

धारा 6 "ग" का संशोधन

(1) वर्ष 2000 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"6-ग. प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6-क के अधीन पेंशन का हकदार है, राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा.".

(2) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 6-ग में, शब्द "और दो हजार रूपये प्रतिमास चिकित्सीय भत्ता भी दिया जाएगा", अन्त में जोड़े जाये.

(3) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "दो हजार" के स्थान पर "तीन हजार" स्थापित किये जाये.

(4) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "तीन हजार" रूपये के स्थान पर "पांच हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(5) वर्ष 2012 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "पांच हजार" रूपये के स्थान पर "दस हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(6) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 6-ग में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह हजार" स्थापित किये जाये.

धारा 7 का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उपधारा (1) के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायगा कि उसके स्थान पर निम्नलिखित उपधारा मूल अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से स्थापित की गई है, अर्थात् :-

"(1) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक तौर पर--

(एक) राज्य सरकार द्वारा चलाये गये चिकित्सालयों में ऐसा स्थान नि:शुल्क प्राप्त करने का तथा ऐसे चिकित्सालयों में उपलभ्य ऐसा चिकित्सीय उपचार नि:शुल्क प्राप्त करने का भी हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार के नियम--निर्माण--नियंत्रण के अधीन किसी ऐसे शासकीय सेवक के स्वयं के लिये, जो कि प्रतिमास 225 रूपये या अधिक वेतन प्राप्त करता हो, स्वीकार्य होता है;

(दो) जब कि वह सरकारी कार्य से राज्य के बाहर यात्रा कर रही हो तो ऐसे सरकारी चिकित्सालय में, जो कि ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां कि वह ऐसे सरकारी कार्य से जाय, या किसी ऐसे स्थान पर स्थित हो जो उस स्थान तक की, जहां कि उसे जाना हो, उसकी यात्रा के बीच पड़ता हो, चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा;

(तीन) राज्य के बाहर, कोई विशेषित चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि चिकित्सक की राय में ऐसा विशेषित चिकित्सीय उपचार आवश्यक हो और ऐसे सदस्य ने, राज्य के बाहर ऐसे उपचार के लिये, संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, का अनुमोदन अभिप्राप्त कर लिया हो:

परन्तु ऐसा सदस्य खण्ड (दो) तथा (तीन) के अधीन राज्य के बाहर प्राप्त किय गये चिकित्सीय उपचार पर उसके द्वारा उपगत किये गये प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिये उस सीमा तक हकदार होगा जिस सीमा तक कि वह उस स्थिति में हकदार होता जब कि उसने ऐसा चिकित्सीय उपचार राज्य में के किसी सरकारी चिकित्सालय में कराया होता.'.

(2) वर्ष 1983 में क्रमांक 24 द्वारा संशोधन.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 7 में,--

(क) उपधारा (1) को उसकी उपधारा (1-क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए;

(ख) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1-क) के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास तीन सौ रूपये का चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा.'.

(ग) इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1-क) में, --

(एक) शब्द "राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गए किन्ही नियमों के अध्यधीन रहते हुए" स्थापित किए जाए; और

(दो) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात :-

"स्पष्टीकरण, -- इस धारा में "चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" से अभिप्रेत है भरती होने पर अन्र्तवासी रोगी के रूप में उपचार.".

(घ) पाश्र्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पाश्र्वशीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"सदस्यों के लिए चिकित्सा भत्ता चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार.".

(ङ) उपधारा (2) में आने वाले शब्द, कोष्ठक तथा अंक और अल्पविराम "जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियम न बना दिये जायं," के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अल्पविराम, अर्थात् :-

"जब तक कि उपधारा (1-क) के अधीन नियम न बना दिए जायं, किन्तु उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, "स्थापित किए जाएं.

(3) वर्ष 1987 में क्रमांक 10 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 का उपधारा (1) में शब्द "तीन सौ" के स्थान पर शब्द "चार सौ" स्थापित किए जाएं.

(4) वर्ष 1988 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 का उपधारा (1) में शब्द "चार सौ" के स्थान पर शब्द "छह सौ" स्थापित किए जाएं.

(5) वर्ष 1988 में क्रमांक 27 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1-क) में, विद्यमान स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण-1 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण.-2-.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, सदस्य के अन्तर्गत भूतपूर्व सदस्य होगा, किन्तु भूतपूर्व सदस्य उपधारा (1) के अधीन देय चिकित्सा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा.".

(6) वर्ष 1992 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 (1) में शब्द "छह सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" स्थापित किए जाएं.

(7) वर्ष 1997 में क्रमांक 23 द्वारा संशोधन.

मूल वेतन अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "एक हजार" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ" स्थापित किए जाएं.

(8) वर्ष 2000 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (1-क) के स्पष्टीकरण-दो का लोप किया जाए.

(9) वर्ष 2001 में क्रमांक 26 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, शब्द "एक हजार पांच सौ" के स्थान पर, शब्द "तीन हजार" स्थापित किए जायें.

(10) वर्ष 2007 में क्रमांक 25 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(एक) उपधारा (1-क) में, खण्ड (तीन) में, शब्द 'संचालक, लोक स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश' के स्थान पर 'संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश' स्थापित किये जाए और कोलन के स्थान पर अर्द्ध-विराम स्थापित किए जाये और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किए जाये, अर्थात् :-

(चार) राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों के आंतरिक रोगी के रूप में कराई गई चिकित्सीय परिचर्या एवं उपचार तथा शल्य चिकित्सा पर हुए समस्त प्रभारों की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा,

(पांच) सदस्य के अचानक बीमार हो जाने तथा राज्य के बाहर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की पूर्व अनुमति के बिना चिकित्सीय उपचार कराने की स्थिति में शासन द्वारा विनिर्दिष्ट बीमारियों पर नियमानुसार अग्रिम प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसे अग्रिम को स्वीकृत करने के लिए प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा अधिकृत होगा तथा यह अग्रिम संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के अनुमोदन के पश्चात् चिकित्सा प्रतिपूर्ति में से समायोजित किया जायेगा.";

(दो) उपधारा (2) में, शब्द 'सचिव' के स्थान पर, शब्द 'प्रमुख सचिव' स्थापित किये जाएं.

(11) वर्ष 2010 में क्रमांक 17 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में शब्द "तीन हजार" रूपये के स्थान पर "पांच हजार" रूपये स्थापित किये जाये.

(12) वर्ष 2016 में क्रमांक 15 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (1) में, शब्द "पांच हजार" के स्थान पर शब्द "दस हजार" स्थापित किये जाये.

धारा 7-क का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात :-
"7-क. मृत सदस्य के आश्रित को पांच लाख रूपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा".

धारा 8 का संशोधन

(1) वर्ष 1974 में क्रमांक 4 द्वारा संशोधन

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जायं, अर्थात् :-

"(ग) उसे चार सौ रूपये प्रतिमास वाहन भत्ता मिले;

(घ) उसे सरकारी खर्चे पर दो मुद्रलेखकों (टाइपिस्टों) तथा दो चपरासियों की सेवायें उपलब्ध रहें."

(2) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में शब्द तथा अंक "3,4,5,6 तथा 7" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "3,4, 4-क, 5, 5-क, 6 तथा 7" स्थापित किये जायं.

धारा 8 "क" का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: स्थापित की जाय, अर्थात् :-

"8-क, कोई भी ऐसी धनराशि, जो कि किसी सदस्य से, सदस्य की हैसियत में उसको दी गई वास सुविधा के किराये के मद्दे या की गई उसकी सेवा के या दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की हैसियत से उसको अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दे राज्य सरकार को शोध्य हो, तथा उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) देय हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसको (सदस्य को) देय वेतन तथा भत्तों में से ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, वसूली योग्य होगी.".

(2) वर्ष 1986 में क्रमांक 18 द्वारा संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 8 क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात् :-
न

8"-क, कोई भी ऐसी धनराशि, जो कि किसी सदस्य से या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कि धारा 6-क के अधीन पेंशन पाने का हकदार हो, सदस्य को हैसियत में उसकी दी गई वास-सुविधा के किराए के मद्दे या की गई सकेगी सेवा के या उसे दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की की हैसियत से उसको अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दे राज्य सरकार को शोध्य हो, और उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) राज्य सरकार को देय हो, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथास्थिति --

(एक) ऐसे सदस्य को देय वेतन तथा भत्तों में से, या

(दो) ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन में से,

ऐसी रीति में, जो कि विहित हो जाए, वसूली योग्य होगी.".

धारा 9 का संशोधन

(1) वर्ष 1976 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"(ग) किसी सदस्य से धारा 8-क के अधीन शोध्य तथा उसके द्वारा देय धनराशियों की वसूली की राशि.".

(2) वर्ष 1976 में क्रमांक 63 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"(कक) वह प्ररूप जिसमें कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी पेंशन का दावा करने के प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेगा;"

(3) वर्ष 1978 में क्रमांक 19 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में, खण्ड (क) को खंड (क-1) के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाय और इसी प्रकार पुन:क्रमांकित किये गये खंड (क-1) के पूर्व निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

(क) वे निवंधन तथा शर्तें, जिनके कि साथ किसी सदस्य को नि:शुल्क बस पास या नि:शुल्क रेल पास यथास्थिति धारा 5 या धारा 5-क के अधीन दिया जायगा,".

(4) वर्ष 1978 में क्रमांक 30 द्वारा संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

(क) उपधारा (2) में,--

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किये जायं, अर्थात् :-

(क) वे निबंधन तथा शर्ते जिनके कि साथ किसी सदस्य को नि:शुल्क बस पास धारा 5 के अधीन दिया जायगा;

(कक) किसी सदस्य को धारा 5-क के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों का विनियमन;"

(दो) खंड (कक) को खंड (ककक) के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाय;

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाय.

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता अधिनियम

7 OF 73 के संशोधन

(1)	4 of 74	धारा -8
(2)	30 of 76	धारा -7, 8-क, 9
	63 of 76	धारा -1, 6क, 9
(3)	7 of 77	धारा - 6 क
(4)	19 of 78	धारा - 2, 4, 4 क, 5, 5, क, 6, 8, 9
	30 of 78	धारा- 5क
(5)	20 of 80	धारा - 1, 5क
(6)	19 of 81	धारा - 4, 4क, 5, 6क
(7)	24 of 83	धारा -7
(8)	24 of 85	धारा -5क
(9)	18 of 86	धारा -6क, 8क
(10)	10 of 87	धारा -3, 4, 4क, 5ख, 6क, 7
	27 of 87	धारा -5क
(11)	18 of 88	धारा -3, 4, 4क, 5, 6क, 7
	27 of 88	धारा -6क, 7
(12)	19 of 91	धारा -5क, 5ग, 6क
(13)	7 of 92	धारा -5ख
	18 of 92	धारा -4, 5क, 6क, 7
(14)	34 of 95	धारा -5क, 6क
(15)	4 of 97	धारा -5
	13 of 97	धारा -6क
	23 of 97	धारा -3, 4क, 5ख, 7
(16)	19 of 99	धारा -6 ख
(17)	18 of 2000	धारा -5क, 6ग, 7
(18)	26 of 2001	धारा -4, 4क, 4ख, 5क, 6क, 6ग, 7
(19)	25 of 2007	धारा -3, 4, 5क, 5ख, 6क, 6ख, 6ग, 7
(20)	22 of 2008	धारा -4ग
(21)	17 of 2010	धारा -3, 4, 4क, 4ख, 4ग, 5, 6क, 6ख, 6ग, 7
(22)	15 of 2011	धारा -5
(23)	23 of 2012	धारा -4, 4ख, 4ग, 5, 5ख, 6क, 6ख, 6ग
(24)	8 of 2013	धारा -6क
(25)	15 of 2016	धारा -3, 4, 4ग, 5, 5क, 6क, 6ख, 6ग, 7, 7क